



who is "over 18" by some state or territory, or who is of
solemnly affirming and disavowing renunciation of
this affidavit apart from his solemn use as
stamp-colour fees for U.S. 15¢ definite time.
6146 of No. Act. 1900 definite time.

A. No. 103111621 of 17

३० पट्टना शाहिल (शोमार्ज) शंखदीभ

१० निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) श्रीकन्ताखा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अफिसर के साक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाषा-कृ

गौ. कुमार राजीव भाग-क **पर्व/संस्कृती/संस्कृती शानी तारा

आयु 43 का, जो देवप्रेम अंगीमान में द्वारा पकड़ा गया है।
कृष्ण अधिकारी रोड पत्तना-800001

(डॉक का पूरा पता लिखे) का / निवासी हूँ और उपरोक्त निर्धारण से अमर्याधी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ-

(1) मैं (* साजैतिक दस्तावेज का नाम) द्वारा खड़ा-
किया गया अभ्यार्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**ਜੋ ਲਾਗੂ ਨ ਹੋ ਉਸੇ ਕਾਟ ਦੇ)

(2) मेरा नाम १४८-बॉमीपुर विद्यानसाला/विद्यार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं.....

113 के क्रम सं ०१८ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9430060116 है / मैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Yvijiv



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बारे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अधिनियम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AUV8PR5434 E	लाभू नहीं	लाभू नहीं
2.	पति या पत्नी	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं
3.	आधिक-1	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं
4.	आधिक-2	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं
5.	आधिक-3	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं

(5) मैं ऐसो किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबाह से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबाह से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लाभू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लाभू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञना लेने के आदेश की तारीख	लाभू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोपित (अपराधों) की विरचना की गई	लाभू नहीं



(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप घिरचित किए गए थे	लोअर नटी
(घ.)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्रम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लोअर नटी

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लोअर नटी
(ख.)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लोअर नटी
(ग.)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लोअर नटी

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लोअर नटी
(ख.)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदश) की तारीख (तारीखों)	लोअर नटी



(ग)	अधिरोपित दंड	लाभू-नहीं
(घ)	यदा सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अधील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अधील के बौरे और कर्तमान प्राप्तिस्थिति	लाभू-नहीं

(7) मैं भेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थानस आदि) के बौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के बौरे :

टिप्पण 1 -- संयुक्त रवानिक्त की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -- जमा/विनिधान की दशा में रकम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित बौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3. -- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य रटोंक एक्सचेंजों गे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -- यहाँ आश्रित का तभी अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 -- रकम सहित बौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के बौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	बंधपत्र इकारा	लाभू- नहीं	लाभू- नहीं	लाभू- नहीं	लाभू- नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/ शेयरों तथा यूनिटों के बौरे और	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू- नहीं	लाभू- नहीं	लाभू- नहीं



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही दितीय लिखतों में विनिधान और रकम	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
(vi)	मोटरसाइन/वायुयान/याट/पोत (प्रीक रजिस्ट्रीकरण रख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साइडल Super Splendor	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के बौरे)	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
(ix)	समग्र कुल मूल्य	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीधा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवरिधति (अवरिधतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल गाय) क्या विशासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
	स्वार्जित रापति की दशा में मूल्य की तारीख	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही
	कैफ्योंके संभेद भूमि की लागत	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही	लाभनही



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य ग्रेर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) खार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य ग्रेर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्भित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) खार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्भित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) खार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं
(iv)		लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं	लागू-नहीं



	प्रिवेट लैन (कर्म कुट में छह नाप)	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
	क्या पिरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	-नहीं	-नहीं	-नहीं	-नहीं	-नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
	विकास, संनियोग आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधन	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
(V)	अनुभानित चालू बाजार मूल्य अंत्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के सम्बद्ध रकम के व्यौरों का पृथक् विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(I)	<p>बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति</p> <p>पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यापिकों, निकाय को ऋण या शोध्य</p> <p>नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति</p> <p>कोई अन्य दायित्व</p> <p>दायित्वादों का कुल योग</p>	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
		लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
		लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
		लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं
(II)	<p>सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से वरतने वाले विभागों को शोध्य</p> <p>जल आपूर्ति से वरतने वाले विभाग को शोध्य</p>	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं	लाभ-नहीं



विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
सरकारी परिवहन (वायुगान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
आय-कर शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
धनकर शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
सेवाकर शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
विक्रयकर शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
कोई अन्य शोध्य	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादास्थीन है, यदि हाँ तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी	लाइन्सी

(9) वृत्ति या उपर्याप्तिका के ब्यौरे :

(क) स्वयं सहगोड़ा पुण्याली (प्रशिक्षण और भारत्यान इतावा मान्यता प्राप्त)

(ख) पति या पत्नी लाइन्सी

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है :-

द्वात्री उषन्मरण वैज्ञानिक (द्वेष स्वेच्छा के लिए समर्पित)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार राजीव			
2	डाक का पता	देशप्रेम अभिप्रान मैट्रिसफर बने, एकजीष्ठीन-रोड पटना 192-बोंझीघुर लिंगपुरस्था भारत-बंगलुरा 13, बिहार			
3.	निर्धारित क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	192-बोंझीघुर लिंगपुरस्था भारत-बंगलुरा 13, बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित गामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे भागलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर गद (i) उल्लिखित भागलों से मिल)	लाभू-नहीं			
6.	ऐसे कुल भागलों की संख्या जिनमें शिद्दोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की घारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लाभू-नहीं			
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शक आय	
	(क) अभ्यर्थी	AUDPR 54 : 1 E	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	
	(ख) पति या पत्नी	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	
	(ग) आश्रित	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियाँ	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं	लाभू-नहीं



ख	स्थावर आस्तियां					
I.	खरेजित स्थावर संपति की क्रय कीमत	लागू नहीं				
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संग्रीण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं				
III.	निम्नलिखित की अनुभानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं				
	(क) खरेजित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं				
		लागू नहीं				
9	दायित्व	लागू नहीं				
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं				
10	ऐसे दायित्व जो विवादधीन है					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं				



11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता : **श्रीविद्यामाता बुद्धि उपनिषद् वेदान्निक**,
दैश्वाप्रेम, वेज्ञानिक दृष्टिकोण, भौतिक्य, वन्देहृपत्रि-जीविप्रैम्
सुखलोका उपनिषद् वेदान्निक, आधावेदान, लक्ष्मीकृष्ण का ज्ञानार्जन-
कर्तव्यहृषीक्षा है। (प्रगतिपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, सच्चितम विद्यालय/विश्वविद्यालय
 शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया
 था, का घौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभियाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की
 विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या
 नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित
 मामले से मिल कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद
 8, 9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से मिल कोई आरित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख २६-०३-२०१५ को सत्यापित किया गया।

I, Identify the signature/L.T.I.who
 has signed in my presence.

कुमारकुमार
 अभियाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन खो 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना
 चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पदिक
 के समक्ष शपथ ली जाना चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई सांभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के रांघ में
 देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारित शून्य या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना
 चाहिए।



टिप्पण 4. शपथपत्र टकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण -- 5 मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121--2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी रूपमों को भरा जाना है। कोई भी रूपम् खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जींच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी रूपम् भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली रूपमों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी गद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे रूपमें दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी रूपम् खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी रूपम को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संविक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अरवीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं 9430060116, 9301601947"

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है... jiv.deshprem@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है... [Sunabhu.Rubha](https://www.facebook.com/Sunabhu.Rubha)

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

